



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक

/नियोजन अनुभाग/2012

दिनांक

आदेश :-

रिषम प्लेटेनियम रेजीडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन व प्रमोटर के मध्य कॉमन एरिया फैंसिलिटीज के हस्तां एवं अन्य समस्याओं के सम्बन्ध में प्रैसीडेंट आर०डब्ल्यू०ए० के पत्र दिनांक-21.4.12 के क्रम में दोनों पक्षों को सुन हेतु दिनांक- 30.5.12 को कार्यालय में बुलाया गया, जिसमें प्रैसीडेंट आर०डब्ल्यू०ए० तथा विकासकर्ता उपस्थित दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात निर्णय लिया गया कि आर०डब्ल्यू०ए० द्वारा कॉमन फैंसिलिटीज व उससे सम्बन्धित घनराशि को आर०डब्ल्यू०ए० को हस्तान्तरित किए जाने, पार्किंग आवंटित किए जाने, सीपेज सम्बन्धी समस्या समाधान किए जाने, अग्निशमन व विद्युत सुरक्षा के सम्बन्ध-में कार्यवाही किए जाने का अनुरोध किया गया है।

एतद द्वारा यह आदेशित किया जाता है कि विकासकर्ता में रिषम प्लेटेनियम (मै० प्रोमिनेंट बिल्ड प्रा०लि०) 15 दिन के अन्दर उक्त निर्माण का कम्प्लीशन सर्टिफिकेट प्राप्त करें तथा एक सप्ताह के अन्दर ए अपार्टमेंट एक्ट 2010 के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्धारित प्रारूप पर अपना डिक्लेयरिफिकेशन प्रस्तुत करें। उ अपार्टमेंट रूल्स में जारी डिक्लेयरिफिकेशन का प्रारूप आदेश के साथ संलग्न किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त हैण्डिंग ओवर तथा सिंकिंग फण्ड की वापसी, बेसमेंट-1 में किए गए आवासीय निर्माण हटाये जाने, पार्किंग को अन्य किसी को विक्रय न किए जाने, सीपेज की समस्या का निराकरण कराये जाने के स में नियमानुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण करते हुए एवं पार्किंग आवंटित किए जाने की कार्यवाही पूर्ण कर दिनांक 30 तक अवगत कराया जाए। उ०प्र० अपार्टमेंट एक्ट के प्राविधानों के अनुसार अब प्रश्नगत अपार्टमेंट के कॉमन एरि उसके मैटेनेन्स से सम्बन्धित अधिकारों को आदेशित दिनांक तक आर०डब्ल्यू०ए० को हस्तगत नहीं किए जा सम्बन्ध में इन्हें स्वतः हस्तगत माना जाएगा।

उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त कार्यवाही समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए एवं कार्यवाही नहीं किए जा स्थिति में उ०प्र० अपार्टमेंट एक्ट के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी, जिसके लिए विकासकर्ता जिम्मेदार होंगे।

(धर्मेन्द्र प्रताप सिंह)

पी.सी.एस.

विशेषाधिकारी

(सक्षम प्राधिकारी से प्राधिव

पृष्ठांकन स०-

प्रतिलिपि-

17 (ii) ति 13/7/12 दिनांक- 13/7/12

1. उपाध्यक्ष महोदय को सूचनाार्थ।
2. प्रैसीडेंट आर०डब्ल्यू०ए० रिषम प्लेटेनियम, अहिंसा खण्ड-2 इन्दिरापुरम गाजियाबाद को सूचनाार्थ।
3. मैनेजिंग डायरेक्टर, रिषम प्लेटेनियम (मै० प्रोमिनेंट बिल्डिंग प्रा०लि०), 4-जागृति एन्क्लेव, दिल्ली-92 को उ०प्र० अपार्टमेंट नियमावली की प्रति सलमन करते हुए दिए गए आदेश पर आवश्यक अनुपालन हेतु।

(धर्मेन्द्र प्रताप
विशेषाधिकारी